कार्यालय जनपद न्यायाधीश प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

क्रमांकः निविदा/लेखा/2023–2024 दिनांकः 18.03.2024

दीवानी न्यायालय प्रतापगढ(उ०प्र०) में वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी के कुल ६५ कर्मचारीयों (महिला+पुरूष) को शासनादेश संख्या १६५१/१८.०२.२०१२, ४७(एस.पी.)/१० दिनांकित २४.१२.२०१२ के अनुसार ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन वर्दी दिया जाना है जिनका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

ग्रीष्मकालीन + शीतकालीन वर्दी के लिए					
क्र०सं०	कर्मचारी	लिंग	वर्दी जो दिया जाना है	कर्मचारी की सख्या	वर्दी की संख्या
१	चतुर्थश्रेणी	पुरूष	शर्ट(टेरीकॉट)	५८	४ अदद प्रति कर्मचारी
			पैन्ट(टेरीकॉट)		२ अदद प्रति कर्मचारी
			कोट ऊनी नेवी ब्लू		१ अदद प्रति कर्मचारी
			पैन्ट ऊनी नेवी ब्लू		१ अदद प्रति कर्मचारी
			ऊनी कम्बल		१ अदद प्रति कर्मचारी
२	चतुर्थश्रेणी	महिला	साडी नेवी ब्लू टेरीकॉट	४	२ अदद प्रति कर्मचारी
			ब्लाउज ब्लू टेरीकॉट		२ अदद प्रति कर्मचारी
			पेटीकोट सूती नेवी ब्लू		२ अदद प्रति कर्मचारी
			लांग कोट ऊनी नेवी ब्लू		१ अदद प्रति कर्मचारी
			ऊनी कम्बल		१ अदद प्रति कर्मचारी
३	वाहन चालक	पुरूष	शर्ट(टेरीकॉट)	०३	४ अदद प्रति कर्मचारी
			पैन्ट(टेरीकॉट)		२ अदद प्रति कर्मचारी
			कोट ऊनी नेवी ब्लू		१ अदद प्रति कर्मचारी
			पैन्ट ऊनी नेवी ब्लू		१ अदद प्रति कर्मचारी
			ऊनी कम्बल		१ अदद प्रति कर्मचारी
			जूता मय मोजा		१ जोडी प्रति कर्मचारी
			छाता		१ अदद प्रति कर्मचारी

उक्त सारणी में अंकित वर्दियों के आपूर्ति हेतु शासनादेश सं० १६५१/१८–२–१२–४७(एस०पी०)/१० लघु उधोग अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक २४.१२.२०१२ के प्रकाश में आपूर्ति हेतु **मोहरबन्द निविदायें मय नमुना आमन्त्रित की जाती है।**

इच्छुक फर्म/विक्रेता द्वारा निविदा की शर्तें व नियम किसी भी कार्यदिवस में पुर्वान्ह १० बजे से अपरान्ह ५ बजे के मध्य नजारत अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। निविदायें दिनांक २१.०३.२०२४ तक समय ४ बजे तक मोहरबन्द निविदायें मय नमुना प्राप्त की जायेंगी तथा २२.०३.२०२४ को क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी जिसमे निविदार्थी उपस्थिति हो सकते हैं।

जनपद न्यायाधीश को किसी भी निविदा को बिना बतायें निरस्त करने का अधिकार होगा।

SD/
(हरविन्दर सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी०ऐक्ट)/
अध्यक्ष क्रय समिति
जनपद न्यायालय प्रतापगढ़।

क्रमांकः निविदा/लेखा/2023–2024 दिनांकः 15.03.2024

प्रतिलिपिः

1. जिला सूचना अधिकारी को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
2. जिला न्यायालय जिला कलेक्ट्रेट के सहज दृश्य वाले स्थलो पर।
3. राष्ट्रीय दैनिक तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
4. एन०आई०सी० के बेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु।
5. सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु।

SD/
(हरविन्दर सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी०ऐक्ट)/
अध्यक्ष क्रय समिति
जनपद न्यायालय प्रतापगढ़।

विज्ञापन संख्या वर्दी/नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़ (उ०प्र०)/2023-24

अल्पकालीन निविदा हेतु आवश्यक नियम एवं शर्ते

1- निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट/बाइ हैण्ड से जनपद न्यायाधीश, जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़ को दिनांक 19.03.2024 को अपराह्न 05 बजे तक पहुंचना आवश्यक होगा। उसके दूसरे दिन दिनांक 20.03.2024 को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा गठित कय समिति के समक्ष निविदाओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाय।

2- वर्दी आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता ख्याति प्राप्त कम्पनी के अधिकृत विकेता/फर्म जिनका वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण हो निविदा वही डालने हेतु पात्र होगा। इसके लिये टेक्निकल बिड के साथ कम्पनी के अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3- निविदा दो भागों में डाली जायेगी जिसमें पहला भाग टेक्निकल बिड तथा दूसरा भाग फाइनेन्सियल बिड के नाम से अलग-अलग लिफाफे में डाली जायेगी। समिति द्वारा पहले टेक्निकल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। टेक्निकल बिड स्वीकार होने पर ही उसका फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी। निविदा के लिफाफे के ऊपर लाल रंग के पेन से टेक्निकल बिड तथा फाइनेन्सियल बिड लिखा होना अनिवार्य है।

4- आपूर्ति आदेश निर्गत हो जाने के उपरान्त 10 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

5- कोई भी निविदा शर्तों के अधीन स्वीकार नहीं की जायेगी।

6- अन्तिम निविदा दरों में वर्दी व अन्य सामान को कार्यालय में पहुंचाने का खर्च सम्मिलित होगा इसके लिये किसी प्रकार का अन्य देय नही होगा एवं प्राप्त निविदाओं के दरो की तुलना कम्पनी के ब्राण्ड के आधार पर की जायेगी।

7- किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा तथा फर्म द्वारा वर्दी व अन्य सामानों की आपूर्ति संतोषजनक होने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। अलग से किसी भी प्रकार का टैक्स कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।

8- बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़ को होगा।

9- किसी भी विवाद का निस्तारण जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़ के अधिकार क्षेत्र में होगा।

10- निविदादाता किसी भी फर्म के वितरक एवं विक्रेता के रूप में होना चाहिये।

11- निविदादाता के साथ निविदादाता को व्यापार कर पंजीकृत प्रमाण-पत्र पैन नम्बर देना आवश्यक है।

12- समस्त प्रकार के कर आदि मूल्य में शामिल होगा।

13- एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़ को होगा।

14- निविदा शासनादेश संख्या 1651/18-2-12-47 (एस०पी०) /10 लघु उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.12.2012 के प्रकाश में प्रस्तुत करना होगा।

निविदा हेतु उपरोक्त निर्धारित शर्तों का में भली-भांति अध्ययन कर लिया हूं, मुझे उपरोक्त शर्ते स्वीकार है।

निविदा दाता के हा० ... ...

फर्म के प्रोपाइटर का नाम शालिनी अग्रवाल ... ...

फर्म का नाम व मोहर ... ...